



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ गाजियाबाद

(ISO 9001 :2015 एवं ISO 14001 :2015 प्रमाणित संस्था)

“सार्वजनिक सूचना”

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खसरा सं.-404मि., 405 मि., 406., व 512 ग्राम नूरनगर, गाजियाबाद के कुल क्षेत्रफल 5035.00 वर्गमी. में से रोड वाइडेनिंग हेतु क्षेत्रफल 233.62 वर्गमी. छोड़ने के उपरान्त नेट क्षेत्रफल 4801.38 वर्गमी. भूमि पर मै. के.पी.जी. रियलटेक प्रा.लि. द्वारा होटल मानचित्र सं.-GDA/BP/24-25/0846 स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। गाजियाबाद जोनल डवलपमेन्ट प्लान-2021 जोन-1 के अनुसार खसरा सं.-404 मि, 405 मि, 406 मि. व 512 ग्राम नूरनगर, गाजियाबाद का भू-उपयोग 45.0 मी. चौड़े जोनल मार्ग के मार्गाधिकार की भूमि छोड़ने के उपरान्त अवशेष भाग आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत प्रदर्शित है। उक्त आंशिक आवासीय भू-उपयोग में गाजियाबाद महायोजना-2021 में निहित जोनिंग रेगुलेशन के प्राविधानों के अनुसार होटल क्रिया सामान्यतः अनुमन्य है। महायोजना के प्राविधानों के अनुसार प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में मूल किया से इतर किया अनुमन्य किये जाने पर दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से एक माह की अवधि प्रदान करते हुए जन-सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने का प्राविधान है। उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/सुझाव देना है तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव दो प्रतियों में मुख्य नगर नियोजक, गा.वि.प्रा. के कार्यालय में इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर सकते हैं। केवल निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

सचिव

ई.मेल : helplinegda@gmail.com,  : @Gda Ghaziabad  : @gdagzb

हेल्पलाइन 0120-4418 384, व्हाट्सएप: 9990988004 वेबसाइट: www.gdaghaziabad.in

एक सुन्दर शहर हमारा संकल्प